NERP, 2016

राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली का शुद्धिकरण अभियान, *2016*

मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (BLO) के कार्य एवं दायित्वों की संक्षिप्त रूप–रेखा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

एन.ई.आर.पी. अभियान के अन्तर्गत मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी के माध्यम से सम्पादित होने वाले कार्यों के मुख्य बिन्दु

(I) निर्वाचक नामावली के सुधार के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई :

- अर्हता प्राप्त सभी व्यक्तियों का नाम निर्वाचक सूची में शामिल करना।
- निर्वाचक सूची को त्रुटिरहित बनाना।
- सभी निर्वाचकों के नाम नियमानुसार साधारणतः निवास वाले स्थान पर दर्ज होना।
- दोहरी प्रविष्टि वाले निर्वाचकों का नाम निर्वाचक सूची से विलोपित करना।
- विस्थापित एवं साधारणतः निवास की अर्हता नहीं रखने वाले निर्वाचकों का नाम निर्वाचक सूची से हटाना।
- मृत निर्वाचकों का नाम निर्वाचक सूची से विलोपित करना।
- प्रत्येक निर्वाचक को एक ही ईपिक नम्बर आवंटित किया जाना।
- अच्छी गुणवत्ता का छायाचित्र भारत निर्वाचन आयोग के मापदंडों के अनुसार संधारित किया जाना।
- ईपिक की त्रुटियों में संशोधन।
- जिन निर्वाचकों के छायाचित्र नहीं हैं, उसे एकत्रित करना एवं अच्छी गुणवत्ता वाली छायाचित्रों से प्रतिस्थापित किया जाना।
- मिसमैच फोटोग्राफ की त्रुटियों को दूर करना।

(II) मतदान केन्द्र से संबंधित कार्य :

- मतदान केन्द्र स्थल पर न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं (पीने का पानी, शौचालय, शेड, रैम्प, विद्युत, फर्नीचर इत्यादि) का भौतिक सत्यापन निर्धारित प्रपत्र में सुनिश्चित करना ।
- मतदान केन्द्र क्षेत्र में वैकल्पिक मतदान केन्द्र स्थल/भवन की पहचान करना एवं वैकल्पिक मतदान केन्द्र स्थल/भवन पर उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता चिन्हित करना।
- मतदान केन्द्र क्षेत्रों की सीमाओं को स्पष्टतया लिखते हुए मतदान केन्द्र क्षेत्र के मानचित्र (Rough Sketch) पर अंकित कर इसे निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।
- प्रभाग का स्पष्ट वर्गीकरण एवं वास्तविक स्थिति के अनुसार निर्वाचकों का प्रभागवार संबंधन सुनिश्चित करना तथा प्रभाग का नाम एवं संख्या सही–सही अंकित करना। आवश्यकतानुसार नये प्रभागों की गठन की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव तैयार करना।

(III) मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा सम्पादित की जाने वाले सामान्य कार्य :

- मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अद्यतन निर्वाचक सूची की प्रति उनके स्तर पर संधारित हो।

- पर्याप्त संख्या में प्ररूप–6, 7, 8 एवं 8क की प्रतियां उनके स्तर पर उपलब्ध हो।
- NERP अभियान के क्रम में उपलब्ध कराये गये अपने मतदान केन्द्र का चेकलिस्ट एवं डि–डुप्लीकेशन प्रतिवेदन उन्हें उपलब्ध हों।
- मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी गृह सत्यापन के क्रम में आवश्यक सूचना चेकलिस्ट में अंकित करेंगे।
- यदि कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र की निर्वाचक सूची देखना चाहे तो मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी अपनी अभिरक्षा में उपलब्ध निर्वाचक सूची उन्हें दिखाएगें ताकि आम लोगों को निर्वाचक सूची संबंधित जानकारी उपलब्ध हो सके।
- निर्वाचकों और उनके परिवार के सदस्यों के मोबाइल संख्या एवं ई–मेल आई.डी. इकट्ठे करना।

(IV) निर्वाचक सूची का भौतिक सत्यापन :

- ऐसे व्यक्ति, जो निर्वाचक बनने की अर्हता रखते हैं, किन्तु जिनका नाम निर्वाचक सूची में नहीं है, उन्हें आवश्यकतानुसार प्ररूप–6 की प्रतियां उपलब्ध करायेंगे।
- ऐसे निर्वाचक जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनका नाम निर्वाचक सूची में अभी भी अंकित है, उनके संबंध में प्ररूप–7 प्राप्त किया जायेगा एवं इस संबंध में सूचना सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- ऐसे निर्वाचक, जो वर्तमान में संबंधित मतदान केन्द्र क्षेत्र में साधारणतः निवास नहीं करते हैं, फिर भी उनका नाम निर्वाचक सूची में अंकित रह गया है, की सूची तैयार करेंगे। साथ ही ऐसे निर्वाचकों के संबंध में प्ररूप–7 प्राप्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
- निर्वाचक सूची में निर्वाचकों से संबंधित विवरणी यथा– नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, लिंग, छायाचित्र आदि में प्रविष्टि शुद्ध रूप से अंकित नहीं हो तो ऐसे निर्वाचकों से प्ररूप–8 में आवेदन प्राप्त करेंगे।
- फोटो निर्वाचक सूची में निर्वाचक का स्पष्ट फोटो नहीं है अथवा गुणवत्ता खराब हो तो नवीनतम रंगीन छायाचित्र प्ररूप–8 के माध्यम से प्राप्त करेंगें।
- फोटो निर्वाचक सूची में सम्बंधित निर्वाचक का फोटो न होकर किसी अन्य व्यक्ति का फोटो है। ऐसे मामले में प्ररूप–8 के माध्यम से वास्तविक छायाचित्र प्राप्त करने की कार्रवाई करेंगें।
- निर्वाचक को निर्गत मतदाता फोटो पहचान पत्र में त्रुटियाँ हैं, उदाहरणस्वरूप निर्वाचक के नाम, पिता/पति का नाम, पता, आयु इत्यादि मतदाता फोटो पहचान पत्र पर शुद्ध रूप से अंकित नहीं है। प्ररूप–8 के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर उसमें 'ईपिक में त्रुटि' अंकित करेंगें।

- एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम एक साथ एक गृह में अंकित न होकर अलग–अलग गृहों में अथवा अलग–अलग प्रभागों में अंकित हैं तो उन्हें एक प्रभा में करने हेतु कार्रवाई करेंगें।
- अलग–अलग रहने वाले परिवारों के विभिन्न सदस्यों के नाम उनसे सम्बंधित गृहों में अंकित न होकर एक ही गृह में एक साथ अंकित हैं तो उन्हें संबंधित गृह संख्या में अंकित करने हेतु कार्रवाई करेंगें।
- मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी घर–घर सर्वेक्षण कर निर्वाचकों के मोबाइल संख्या एवं ई–मेल आई.डी. प्राप्त करेंगें एवं ए.एस.डी. (Absentee, Shifted, Dead) निर्वाचकों की भी पहचान करेंगें।
- बी0एल0ओ0 पंजी में निर्वाचकों से संबंधित सूचनाओं को अद्यतन करेंगें।
- सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्मित चेकलिस्ट में दोहरी प्रविष्टि वाले निर्वाचकों (Duplicate Electors) की प्रविष्टियों का सत्यापन करेंगें।
- सरकारी दस्तावेजों में मृत दर्ज निर्वाचकों के संबंध में सत्यापन करेंगें।
- 17 प्रकार के त्रुटियों के आधार पर निर्मित चेकलिस्ट का सत्यापन एवं प्ररूप–8 के माध्यम से आवश्यक सुधार की कार्रवाई करेंगें।
- ईपिक/फोटो निर्वाचक नामावली की 100% कवरेज सुनिश्चित करेंगें।
- निर्वाचकों के बीच प्रचार–प्रसार कर उन्हें निर्वाचक सूची में दोहरी प्रविष्टि, मृत, स्थानांतरित निर्वाचकों की जानकारी देने हेतु स्वैच्छिक घोषणा (Voluntary Disclosure) के लिये प्रेरित करना।
- निर्वाचक सूची के हेडर पृष्ठ की विवरणी, मतदान केन्द्र के प्रभाग के नाम आदि में कोई त्रुटि हो तो उसे भी संशोधित करेंगें।

(v) पंजियों, प्रपत्रों एवं निर्वाचन संबंधी कागजात का विधिवत संधारण :

- बी0एल0ओ0 को अपने प्रभार की पंजी, प्रपत्रों एवं कागजात का भलीभांति एवं सुरक्षित रूप से संधारण सुनिश्चित करना है।
- बी0एल0ओ0 निर्वाचन संबंधी पंजी, कागजात, प्रपत्र अथवा निर्वाचक सूची या उसकी कार्यकारी प्रति किन्हीं अनधिकृत व्यक्ति को हस्तगत नहीं करायेंगे और न उनका उपयोग करने की अनुमति देंगे।